## प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जिए 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए अस्थायी दर वाले सरकारी बांड 2024", (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जिए 8,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "6.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2027", (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जिए 2,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.73 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2034" और (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जिए 2,000 करोड़ रुपए (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए "7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2055" की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 15,भारत सरकार ,करोड़ रुपए की सीमा तक 000 उपर्युक्तिकसी भी प्रतिभूति के परिपेक्ष्य में1 ,करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प 000 बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 17 नवम्बर, 2017 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

- 2. इन सभी स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
- 3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 नवम्बर, 2017 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा 17 नवम्बर, 2017 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 20 नवम्बर, 2017 (सोमवार) को किया जाएगा।
- 5. ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र सं0आरबीआई/2006-07/178, दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के तहत जारी "केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 13 नवम्बर, 2017